अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

(धारा 82 Cr.P.C. देखिए)

मेरे समक्ष परिवाद किया गया है कि अभियुक्त **मौहम्मद बाबू उर्फ चांद पुत्र मौहम्मद सत्तार अली निवासी झुग्गी नं. 351, पहाड़ी नं. 1, तैमूर नगर, आईजी कैम्प, नई दिल्ली** ने केस एफआईआर नं. **137/2017 अन्तर्गत धारा 21/61/85 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी, दिल्ली** के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किए गए गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर लौटा दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मौहम्मद बाबू उर्फ चांद** मिल नही रहा है, और मुझे समाधानाप्रद रूप से दर्शित कर दिया गया है कि उक्त अभियुक्त **मौहम्मद बाबू उर्फ चांद** फरार हो गया है (या उक्त वारंट कि तामील से बचने के लिए अपने आपको छिपा रहा है) इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाती है कि केस एफआईआर नं. **137/2017 अन्तर्गत धारा 21/61/85 एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना न्यू फ्रैन्ड्स कालोनी, दिल्ली** के उक्त अभियुक्त **मौहम्मद बाबू उर्फ चांद** से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिवाद का उत्तर देने के लिए दिनांक **12.07.2023** को या उससे पहले हाजिर हो।

आदेशानुसार
अरुल वर्मा
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश–04
साकेत न्यायालय, नई दिल्ली

DP/5083/SE/2023
(Court Matter)

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जैसा कि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित नियम 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में आई.आई.एफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व का इण्डिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि.) (आई.आई.एफएल एचएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते, कम्पनी के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा नीचे वर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों सूचना में उल्लिखित राशि का कथित सूचना की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए माँग सूचना निर्गत की गयी थी। कर्जदार के राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदार को तथा जनसामान्य को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने कथित नियमों के नियम 8 के साथ पठित कथित नियम की धारा 13(4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है। एतद्वारा विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को सम्पत्ति के साथ किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार ब्याज सहित नीचे वर्णित के लिए आई.आई.एफएल एचएफएल के अभियोग का विषय होगा।

कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, यदि कर्जदार बिक्री या अन्तरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं किये गये व्ययों सहित ''आई.आई.एफएल एचएफएल'' के बकायों को अदा कर देता है तो ''आई.आई एफएल एचएफएल'' द्वारा प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री या अन्तरण नहीं किया जायेगा और प्रतिभूत आस्तियों के अन्तरण या बिक्री हेतु ''आई.आई.एफएल एचएफएल'' द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जायेगा।

कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार (सें) का नाम	प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण	कुल बकाया राशि (रु.)	माँग सूचना की तिथि	कब्जा करने की तिथि
श्री जगदीश शर्मा, श्रीमती राजबाला श्री विशेष भारद्वाज (प्रॉस्पेक्ट नं. 867577, 936274 तथा 952498)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः संपत्ति संख्या डी -43, खसरा संख्या 33/22/2 में से, भूमि क्षेत्र माप 855 वर्ग फीट, कारपेट एरिया माप 1232 वर्ग फीट और सुपर बिल्ट अप एरिया 1540 वर्ग फीट, ग्राम नांगलोई जाट की राजस्व संपत्ति में, विशाल कॉलोनी, नई दिल्ली, 110041, दिल्ली, भारत में स्थित	867577 के लिए रु. 42,76,666/- (रुपये बयालीस लाख छिहत्तर हजार छः सौ छियासठ मात्र) तथा 936274 के लिए रु. 5,75,138/- (रुपये पांच लाख पिचहत्तर हजार एक सौ अड़तीस मात्र) तथा 952498 के लिए रु. 5,80,374/- (रुपये पांच लाख अस्सी हजार तीन सौ चौहत्तर मात्र)	22-फर.-2023	15-मई-2023
श्री अशोक कुमार संदूजा, श्रीमती नीतू, अशोक एग सेल्स (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10239747)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः प्लॉट नंबर 19-ए, कारपेट एरिया 432 वर्ग फीट, सुपर बिल्ट-अप एरिया 540 वर्ग फीट, यूजीएफ फ्रंट साइड, मोहन गार्डन, ब्लॉक-ए1, उत्तम नगर, दिल्ली-110059	रु.27,55,087/- (रुपये सत्ताईस लाख पचपन हजार सतासी मात्र)	25-फर.-2023	15-मई-2023
श्रीमती कल्पना, श्री हितेश कुमार (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10184153)	अग्रलिखित सम्पत्ति का समस्त भागः बिल्ट अप ऊपर ग्राउंड फ्लोर, (फ्रंट लेफ्ट हैंड साइड) फ्रंट साइड, बिल्ट अप एरिया माप 441 वर्ग फीट और कारपेट एरिया 350 वर्ग फुट, संपत्ति संख्या - 43 के छत के अधिकार के बिना, प्लॉक एम मोहन गार्डन, ग्राम हस्तल, उत्तम नगर नई दिल्ली - 110059 में स्थित	रु. 22,35,386/- (रुपये बाइस लाख पैंतीस हजार तीन सौ छियासी मात्र)	21-जन.-2023	15-मई-2023

अधिक विवरण के लिए सम्पर्क करें : अधिकृत प्राधिकारी, शाखा कार्यालय : ए-1सी और ए-1डी, दूसरी मंजिल, नोएडा सेक्टर 16, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर - 201301/प्लॉट नंबर 30/30ई, अपर ग्राउंड फ्लोर, मैन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जगुआर शोरूम के बगल में, मोती नगर, नई दिल्ली/ या कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नंबर 98, फेज-IV, उद्योग विहार, गुड़गांव, हरियाणा।

स्थान : दिल्ली/ नोएडा दिनांक : 18.05.2023 ह./- अधिकृत प्राधिकारी, कृते आई.आई.एफएल होम फाइनेंस लिमिटेड

AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

Pragati ke partner Corporate Off: Kanakia Wall Street, 5th floor, A 506-510, Andheri-Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400093

कब्जा नोटिस (अचल संपत्ति) [प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमन 2002 के नियम 8(1) के तहत)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम,2002 (2002 का 54)के तहत एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालयः एंबिट हाउस, 449, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई – 400 013 में , कॉर्पोरेट कार्यालय : कनकिया वॉल स्ट्रीट में कॉर्पोरेट कार्यालय – 5वीं मंजिल, ए 506–510, अंधेरी–कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई –400093 के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि को चुकाने के लिए यहां उल्लेखित दिनांकित डिमांड नोटिस जारी किया गया है। निम्नलिखित उधारकर्ता राशि को चुकाने में विफल रहें, निम्नलिखित उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) अधिनियम,2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर का नाम और ऋण खाता संख्या	डिमांड नोटिस दिनांक राशि	अचल संपत्ति / गिरवी रखी गई संपत्तियों का विवरण	कब्जे की तारीख/कब्जे का प्रकार
1) राधा कृष्ण आचार्य 2) कविता आचार्य लैन सं. DEL00000022958	23/08/2022 23.08.2022 के अनुसार रु.26,26,921.41/– (छब्बीस लाख छब्बीस हजार नौ सौ इक्कीस और इकतालीस पैसे मात्र)	मापक्षेत्र 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर के फ्रीहोल्ड आवासीय भूखंड क्षेत्र के सभी टुकड़े और अंश ,खसरा सं. 13/20का भाग , स्ट्रीट 2ए, ए2 ब्लॉक, कमालपुर माजरा गांव, बुराड़ी, दिल्ली, आबादी के क्षेत्र में स्थित है, जिसे चंदन विहार पश्चिम संत नगर, बुराडी, दिल्ली–110084 के रूप में जाना जाता है। उक्त संपत्ति की चौहद्दी : पूर्वः अन्य का प्लॉट ,पश्चिमः अन्य का प्लॉट , उत्तरः अन्य का प्लॉट दक्षिण :14 फीट चौड़ी सड़क।"	15.05.2023 भौतिक कब्जा

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर यहां ऊपर उल्लिखित राशि और उस पर ब्याज के लिए एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा। प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

दिनांकः 18.05.2023, स्थान : दिल्ली हस्ता /–अधिकृत अधिकारी, एंबिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

प्रपत्र सं. आईएनसी–26

[कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के परिवर्तन के लिये
समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए विज्ञापन
केन्द्र सरकार, (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र बी–2 विंग, 2रा तल, पं. दीनदयाल अन्तयोदय भवन सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 के समक्ष
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4)
तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014
के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में
तथा
वीचार्टर्ड कन्सल्टैन्सी प्राईवेट लिमिटेड के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय : जी–399–बी, फेज VI, आया नगर, नई दिल्ली–110047 भारत में है

.....आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि "रा. रा. क्षेत्र दिल्ली " से "हरियाणा राज्य " में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए 13 मार्च, 2023 को आयोजित असाधारण आमसभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह आवेदक कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।
कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए- 21 पोर्टल (**www.mca.gov.in**) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, 2रा तल, पं. दीन दयाल अन्त्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली–110003 में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें:
पंजीकृत कार्यालय : जी–399–बी, फेज VI, आया नगर, नई दिल्ली–110047 भारत

कृते एवं के लिये,
वीचार्टर्ड कन्सल्टैन्सी प्राईवेट लिमिटेड
हस्ता/–
राहुल किशोर
निदेशक
DIN:03619234
ए–16, भूतल, साउदएंड फ्लोर्स, निकट दि पाराडायज,
सेक्टर–49, गुड़गांव, हरियाणा–122018

तिथि : 18.05.2023
स्थानः दिल्ली

भारत सरकार वित्त मन्त्रालय
ऋण वसूली अधिकरण–II

तृतीय तल, भीकूभाई चैम्बर्स, निकट कोचराब आश्रम पालदी, अहमदाबाद, गुजरात

प्रपत्र सं. 22 (पूर्व का 62) [डीआरटी विनियम, 2015 का विनियम 36 एवं 37] [आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची का नियम 52(1)(2) देखें] ऋण वसूली एवं दिवाला अधिनियम, 1993 के साथ पठित ई–नीलामी/बिक्री सूचना [रजिस्टर्ड एडी/दस्ती/चिपकाकर/ड्रम बजाकर/प्रकाशन द्वारा]

टीआरसी सं. 4/2023	पूर्व का आरपी/आरसी नं. 114/2019	ओए नं. 454/2017

प्रमाणपत्र धारक बैंक	भारतीय स्टेट बैंक
बनाम	V/s
प्रमाणपत्र देनदार	मैसर्स सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड एवं अन्य

सेवा में,
सी.डी. नंबर 1: मैसर्स सिद्धि विनायक लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, परिसमापक श्री दुष्यंत दवे के माध्यम से 1101, डालामल टॉवर, 'बी' – विंग, फ्री प्रेस जर्नल मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई – 400021
सी.डी. नंबर 2: श्री राजकुमार बैद, फ्लैट नंबर 1001/1002, सनकृत अपार्टमेंट, राजहंस सिनेमा के पास, सूरत – 395001
सी.डी. नंबर 3: श्रीमती लक्ष्मीदेवी बैद, फ्लैट नंबर 1001/1002, सनकृत अपार्टमेंट, राजहंस सिनेमा के पास, सूरत– 395001
सी.डी. नंबर 4: श्री दीपक कुमार बैद, फ्लैट नंबर एफ–501, 5वीं मंजिल, साई रेजीडेंसी, सेक्टर–15, सीबीडी बेलापुर, नवी, मुंबई – 400614
सी.डी. नंबर 5: श्री रूपचंद बैद, फ्लैट नंबर 1002, सनकृत अपार्टमेंट, राजहंस सिनेमा के पास, सूरत – 395001
सी.डी. नंबर 6: मृतक रविकुमार कोठारी, श्रीमती गुलाबदेवी कोठारी (मृतक की मां) के वारिस और कानूनी प्रतिनिधि, डुप्लेक्स रो हाउस नंबर 16, सी/एस सामने पावना अस्पताल, सोमतने फाटा, तालुका – मावल, शहर पुणे।
सी.डी. नंबर 7: श्रीमती मंजूदेवी बैद, फ्लैट नंबर 1001/1002, सनकृत अपार्टमेंट, राजहंस सिनेमा के पास, सूरत – 395001
सी.डी. नंबर 8: श्री कमल बैद, फ्लैट नंबर 1114, आशीर्वाद पार्क, एफ सिटी लाइट रोड, अलथान, सूरत– 395007
सी.डी. नंबर 9: यशकृति टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, एचई–1, आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स, ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर
सी.डी. नंबर 10: राज इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 14–15, भटपोर जीआईडीसी, सामने ओएनजीसी गेट नंबर 2, हजीरा, सूरत
सी.डी. नंबर 11: राजकमल लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 14–15, भटपोर जीआईडीसी, सामने ओएनजीसी गेट नंबर 2, हजीरा, सूरत
सी.डी. नंबर 12: प्रेक्षा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ए–401, शिवसमुत्री टावर, एल.बी. पार्क, घोड़ दौड़ रोड, सूरत
सी.डी. नंबर 13: साई एंटरप्राइजेज, प्लॉट नंबर 14–15, भटपोर जीआईडीसी, सामने ओएनजीसी गेट नंबर 2, हजीरा, सूरत
सी.डी. नंबर 14: राज ऑटोमोबाइल्स, प्लॉट नंबर 14–15, भटपोर जीआईडीसी, सामने ओएनजीसी गेट नंबर 2, हजीरा, सूरत
सी.डी. नंबर 15: एक्यूमेन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, 31, दूसरी मंजिल, फंक्शनल इंडस्ट्रियल एस्टेट, पटपड़गंज, नई दिल्ली पूर्व, दिल्ली –110092
सी.डी. नंबर 16: स्टर्लिंग मर्चेंट प्रा. लिमिटेड, 10/3, काशीनाथ मुलिक लेन, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।

उक्त सीडी संख्या 2–16 ओए नंबर 454/2017 में पारित निर्णय और डिक्री दिनांक 24.10.2019 की शर्तों के संबंध में ब्याज सहित तिथि 11.06.2018 तक **रु. 261,59,63,068.09 (रुपये दो सौ इकसठ करोड़ उनसठ लाख तिरसठ हजार अड़सठ और नौ पैसे मात्र)** के बकाया देय राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं। उपरोक्त मामले में मेरे आदेश दिनांक 29.04.2023 के अनुसार सार्वजनिक ई–नीलामी द्वारा निम्न सम्पत्ति(यों) का विक्रय किया जायेगा। नीलामी बिक्री **'ऑनलाइन ई–नीलामी'** वेबसाइटः **https://drt.auctiontiger.net** के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

लॉट	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (निकटतम)	10% ईएमडी या (निकटतम)
1.	भूखंड संख्या 30, माप लगभग 498.62 वर्ग मीटर की भूमि का समस्त भाग, पिपलोद, राजस्व सर्वेक्षण संख्या 72, टी.आर. योजना संख्या 6, अंतिम प्लॉट संख्या 09 पैकी, बी/एच आईबीपी पेट्रोल पंप, सामने बिग बाजार, अनमोल रेजीडेंसी के पास, सूरत – डुमास रोड, पिपलोद, तालुका सूरत शहर, जिला सूरत में स्थित	रु. 660.00 लाख	रु. 66.00 लाख

नोटः प्राप्त होने वाले किसी भी दावे के संबंध में, यदि कोई हो, भुगतान की प्राथमिकता आरडीबी अधिनियम, 1993 (वर्ष 2016 में संशोधित) की धारा 31–बी के अनुसार तय की जाएगी।
ईएमडी खाते में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से निम्नानुसार विवरण के अनुसार जमा किया जाएगाः–

लाभार्थी बैंक का नाम तथा पता	भारतीय स्टेट बैंक, वाणिज्यिक शाखा, अहमदाबाद
लाभार्थी खाता नाम	एसबीआई एसएएमबी अहमदाबाद वसूली खाता
लाभार्थी खाता नं.	31666015329
आईएफएससी कोड	SBIN0006926

1. **सिंगल लॉट के लिए बोली वृद्धि राशि रु. 5.00 लाख।**
2. **संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता मैसर्स ई–प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (टेलीफोन नंबर 9265562821–079 61200594/598/568/587/538 और श्री राम शर्मा (मोबाइल नंबर 09978591888), हेल्पलाइन ई–मेल आईडीः support@auctiontiger.net से ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और संपत्ति संबंधी प्रश्नों के लिए श्री हर्षद सहोलिया (सहायक महाप्रबंधक), (मोबाइल नंबर 7600043736) या श्री शांतनु (सहायक प्रबंधक) (मोबाइल नंबर 7201999192) से संपर्क कर सकते हैं।**
3. **संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों और प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https//www.drt.auctiontiger.net देखें।**
4. **संभावित बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समाप्ति के संकेत/नीलामी के बंद होने के तुरंत बाद 25% (ईएमडी घटाकर) के भुगतान कार्यक्रम का पालन करें और नीलामी की तारीख से 15 दिनों के भीतर और यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश है, तो तत्काल अगला पहला बैंक कार्य दिवस को शेष 75% का भुगतान करें। विस्तार के लिए किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**
5. **संपत्तियों की बिक्री 'जहां है जैसी है', ''जो है यही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' आधार पर की जा रही है और संभावित क्रेताओं को समुचित सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।**
6. नीलामी का कार्यक्रम निम्नानुसार है:–

1.	सम्पत्ति का निरीक्षण	30.05.2023, को 11.00 बजे पूर्वा. से 3.00 बजे अप.
2.	धरोहर राशि सहित बोली प्राप्ति तथा किये गये भुगतान के प्रमाण सहित दस्तावेज अपलोड करने की अन्तिम तिथि	21.06.2023 को 05.00 बजे अप. तक
3.	ई–नीलामी	22.06.2023 को 12.00 बजे अप. से 1.30 बजे अप. (ई–नीलामी की समाप्ति तक 3 मिनट के स्वतः विस्तार उपबंध सहित)

मोहर

(प्रकाश मीणा)
वसूली अधिकारी–II,
ऋण वसूली अधिकरण–II, अहमदाबाद

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031.
टेलीः +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 03.02.2023 जारी कर ऋणधारक, सह–ऋणधारकों, गारंटरों 1. कुसुम महावीर सिंह , 2. राजेश कुमार को उक्त मांग सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 03.02.2023 को रु. 5,21,526.62/– (रु. पांच लाख इक्कीस हजार पांच सौ छब्बीस पैसे बासठ मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 मई, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 5,21,526.62/– (रु. पांच लाख इक्कीस हजार पांच सौ छब्बीस पैसे बासठ मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

इन्द्रापुरी ए.बी.एस.डी. कॉलोनी, ब्लॉक–सी, ग्राम–धरोली खुर्द, परगणा–लोनी, तहसील एवं जिला–गाजियाबाद (उ.प्र.) में स्थित प्लॉट नं. सी–74–सी, माप 50 वर्ग यार्ड्स, खसरा नं. 319/2 का सभी भाग तथा हिस्सा तथा चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्व : प्लॉट नं. 74सी/डी, पश्चिम : प्लॉट नं. 74 सी/बी, उत्तर : 15 फीट रास्ता, दक्षिण : प्लॉट नं. 75–सी

तिथिः 15 मई, 2023
स्थानः गाजियाबाद
ऋण खाता सं.: 6813439

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)
सीआईएन : L65110TN2014PLC097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंग्टन रोड, चेतपेट, चेन्नई–600031.
टेलीः +91 44 4564 4000 । फैक्स : +91 44 4564 4022.

IDFC FIRST Bank

परिशिष्ट IV [नियम 8 (1)]
कब्जा सूचना
(अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावाली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 17.02.2023 जारी कर ऋणधारक, सह–ऋणधारकों, गारंटरों 1. अनुराग अग्ही, 2. कमलेश कुमारी अग्ही को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि 17.02.2023 को रु. 8,55,304.93/– (रु. आठ लाख पचपन हजार तीन सौ चार पैसे तिड़ानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 15 मई, 2023 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 8,55,304.93/– (रु. आठ लाख पचपन हजार तीन सौ चार पैसे तिड़ानवे मात्र) तथा उस पर ब्याज के लिये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित) के चार्ज के अधीन होगा।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

वाका मौजा गुड़गाँव, ग्राम हल आबादी राजेन्द्र पार्क अंडर हुडुडु नगर निगम, गुड़गाँव, तहसील एवं जिला गुड़गाँव (हरियाणा) में स्थित खसरा नं. 89 के भीतर प्लॉट नं. 1631/31 का सभी भाग तथा हिस्सा, एरिया माप 111.11 वर्ग यार्ड्स, कुल 333.30 वर्ग यार्ड्स में से तथा चौहद्दीः पूर्वः श्री सोमवीर का प्लॉट, पश्चिमः अन्य सम्पत्ति, उत्तरः अन्य सम्पत्ति, दक्षिणः 30 फीट चौड़ा रास्ता।

तिथिः 15 मई, 2023
स्थानः गुड़गाँव
ऋण खाता सं.: 16090958

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(तात्कालिक कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड में समामेलित)

kotak कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

संपत्ति की ऑनलाइन ई–नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई–400051, महाराष्ट्र
पिन कोड –400 051, शाखा कार्यालयः 7वीं मंजिल, प्लॉट नंबर–7, डेल कैंपस के पास ,सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित नियम 8(5) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।
एतद्वारा जनसाधारण को और विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूति ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित रखी गई निम्न विवरणित अचल संपत्ति, जिसका आधिपत्य कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड(केएमबीएल) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएचएफएल) द्वारा इसके पक्ष में ऋण के समनुदेशन के पश्चात्, 11.01.2023 को ग्रहण कर लिया गया है, उसे अब 14.06.2023 को दोपहर 12:00 बजे से अपराहन 1:00 बजे के बीच 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर बेचा जाएगा। यह विक्रय जो होगा वह श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप कुमार, श्री प्रदीप कुमार शर्मा की ओर से केएमबीएल ,सुरक्षित लेनदार के बकायों ऋण खाता संख्या HM/0245/H/17/100301 के तहत 16.05.2023 तक रु.18,88,603/– (रुपये अठारह लाख अठासी हजार छह सौ तीन मात्र) एवं 17.5.2023 से लागत और शुल्क के साथ पूर्ण भुगतान तक लागू भविष्य ब्याज की वसूली के लिए किया जाएगा। आरक्षित मूल्य रु. 9,00,000/– (रुपए नौ लाख मात्र), बयाना जमा राशि रु. 90,000/– (केवल नब्बे हजार रुपये) होगी और केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 13–06–2023 को सायं 6:00 बजे (आईएसटी) तक होगी।
संपत्ति का विवरण:–खसरा नं. 934, अग्रसैन कॉलोनी, शैफाली रोड